भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *01

01.12.2025 को उत्तर के लिए

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन

***01. श्री अनुराग शर्मा :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन (ईआईए) संबंधी रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसमें स्थानीय जैव विविधता, वन क्षेत्र और जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में क्या-क्या टिप्पणियां की गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा इससे होने वाली किसी भी संभावित पारिस्थितिकीय क्षति को कम करने, रोकने या उसकी भरपाई करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) झांसी और ललितपुर जिलों में खनन गतिविधियों के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण की समस्या का समाधान करने के लिए किए गए सुधारात्मक और प्रतिपूरक उपायों तथा वनीकरण अभियानों, मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रमों और प्रभावित स्थलों के पुनर्वास का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए निगरानी तंत्रों का ब्यौरा और उक्त जिलों में पारिस्थितिकी को प्रभावी ढंग से बहाल करने के लिए संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन' के संबंध में श्री अनुराग शर्मा द्वारा दिनांक: 01.12.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 01 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : केन-बेतवा लिंक परियोजना, जिसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है, भारत की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली अंतर-बेसिन नदी जोड़ो परियोजना संबंधी पहल है, जो कार्यान्वयन के स्तर पर है। इसका उद्देश्य पानी की कमी वाले बेतवा बेसिन में केन बेसिन के अतिरिक्त पानी को स्थानांतरित करना है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी)/राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर, मंत्रालय द्वारा ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के तहत दिनांक 25.08.2017 को गाँव- दौधन, तहसील-बिजावर, जिला-छतरपुर, मध्य प्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I और दिनांक 22.02.2017 को गाँव-चकरपुर, तहसील- सागर, जिला-सागर, मध्य प्रदेश में बीना कॉम्प्लेक्स बहु-उद्देशीय परियोजना (32 मेगावाट) को पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की गई थी। इसके अलावा, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए), मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 21.08.2020 को ग्राम-कोठा, तहसील-कुरवाई, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश में कोठा बैराज प्रमुख सिंचाई परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई।

परियोजना के लाभों में 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई सुविधा का प्रावधान करना, 62 लाख की जनसंख्या को 194 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराना, 103 मेगावाट जलविद्युत तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन शामिल हैं, जिससे मध्य प्रदेश के 10 जिलों और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को लाभ होगा।

ईआईए रिपोर्टों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्थानीय जैव-विविधता, वन आवरण और जल संसाधनों पर परियोजना के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इनमें पन्ना टाइगर रिज़र्व के भीतर और आसपास की जैव-विविधता पर प्रभाव, नदीय और तटीय पर्यावासों पर प्रभाव, वन्यजीव कोरिडोर पर प्रभाव, वन एवं गैर-वन भूमि का जलमग्न क्षेत्र, जलीय परिवर्तन, डाउनस्ट्रीम पारिस्थितिक प्रवाह की आवश्यकताएँ, मलबा और निर्माण सामग्री की निकासी तथा प्रस्तावित बैराज के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिशा में भौतिक, अजैविक और जैविक मानकों में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्रदान करते समय और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन्यजीव स्वीकृति के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देते समय विभिन्न शमन उपायों की सिफारिश की गई है। केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I, केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चरण-II (बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना) और केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II (कोठा बैराज प्रमुख सिंचाई परियोजना) के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के तहत शमन के उपायों को लागू करने का परिव्यय क्रमशः 5,073 करोड़ रुपये, 1735.05 करोड़ रुपये और 164.12 करोड़ रुपये रखा गया है। ईएमपी के घटकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, जलग्रहण क्षेत्र शोधन (सीएटी) योजना, जलाशय तट शोधन योजना, वनीकरण, अभियांत्रिकी/यांत्रिक उपायों द्वारा अपरदन नियंत्रण, मलबा और गाद (सिल्ट) प्रबंधन, कमान क्षेत्र प्रबंधन, पन्ना टाइगर रिज़र्व में पर्यावास सुधार, विलुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, पर्यावास सुधार के लिए सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों की निगरानी, मत्स्य संरक्षण एवं विकास, सतही और भूजल प्रबंधन, आवधिक मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण, हरित क्षेत्र विकास, वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, ऊर्जा संरक्षण के उपाय, पर्यावरणीय निगरानी आदि से संबंधित व्यय शामिल हैं।

(ग) और (घ) सभी खनन परियोजनाओं के लिए यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) आवश्यक होती है। झाँसी और ललितपुर जिलों में तलहटी की रेत/मोरम खनन और खंडा-बौल्डर/गिट्टी-बैलेस्ट खनन परियोजनाओं सहित सूक्ष्म खनिज परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने की शक्तियाँ राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) के पास निहित हैं।

पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन तथा प्रभावित स्थलों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र-विशेष के विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित कठोर पर्यावरणीय सुरक्षा शर्तें, झाँसी और ललितपुर जिलों की खनन परियोजनाओं सहित सभी खनन परियोजनाओं के लिए निर्धारित की जाती हैं। इन शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, खनन पट्टों में हरित क्षेत्र का विकास और उसका अनुरक्षण, हॉल रोड का निर्माण और रखरखाव, धूल नियंत्रण के लिए जल छिड़काव यंत्रों (वाटर स्प्रिंकलर) का उपयोग, सतही और भूजल संसाधनों की सुरक्षा की स्थिति, आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित ब्लास्टिंग करना, नियंत्रित विस्फोट तकनीकों को अपनाना, उपकरणों के लिए ध्वनि अवशोषक की स्थापना आदि शामिल हैं। पर्यावरण स्वीकृति में अधिसूचित प्रजातियों की सुरक्षा और पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों, अतिप्रबल (ओबी) और अपशिष्ट शिला के वैज्ञानिक प्रबंधन की शर्तें भी निर्धारित हैं, जिसमें इन्हें निर्दिष्ट और स्थिरीकृत ढेरों में उचित ढलान सहित, ढलान सुरक्षा, घास रोपण और वनस्पति आवरण आदि शामिल है। परियोजना प्रस्तावकों को निर्धारित हरित क्षेत्र में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत वृक्षारोपण भी करना अनिवार्य है। यदि

किसी खनन परियोजना में वन भूमि शामिल हो, तो परियोजना प्रस्तावकों को वन स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन स्वीकृति के भाग के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण करना अनिवार्य है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के संबंध में छह महीने में एक बार अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, खनन पट्टे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत जारी की गई संचालन अनुमति (सीटीओ) के अध्यधीन होते हैं। ईसी में निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा शर्तों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी संचालन अनुमति की शर्तों के अनुपालन की मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और एसपीसीबी द्वारा नियमित स्थल निरीक्षण और आकस्मिक दौरे के माध्य से निगरानी की जाती है। अनुपालन न होने की स्थिति में, परियोजना प्राधिकरणों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना और पर्यावरण स्वीकृति रद्द करना शामिल है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (यथा संशोधित) के तहत खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 और खनिज अनुदान नियम के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो/राज्य खनिज एवं भूविज्ञान निदेशालय द्वारा स्वीकृत प्रगामी और खनन बंद करने संबंधी अंतिम योजना लागू करना अपेक्षित है जिससे उत्खनन क्षेत्र का पुनर्भरण, भूमि का पुनरुद्धार, पुन:घास रोपण और खनिज क्षेत्रों के पुनरुद्धार जैसे कार्यकलापों द्वारा पारिस्थितिक पुनरूद्धार के लिए उपाय निर्धारित हैं।

*****